Received - 07/08/17

दिनांक 05.08.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में [illegible] प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति पंजीकृत –

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, प्रखण्ड समन्वयक, PMU एवं PMAY-G सहायकों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई –

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सर्वप्रथम पंजीकरण, जियो टैग, स्वीकृत आवास, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त एवं चतुर्थ किस्त की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड देवरी में ससमय FTO नहीं होने के कारण 3rd एवं 4th किस्तों के बीच 271 संख्या का अन्तर है एवं 20 लाभुकों को 4th किस्त का भुगतान कर दिया गया है जबकि दैनिक प्रतिवेदन में RCC Level की संख्या 188 प्रतिवेदित है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी एवं प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G, देवरी पर कारणपृच्छा करते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित रखने का आदेश दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी को निदेश दिया गया कि वर्त्तमान में कार्यरत इंदिरा आवास के सहायक को हटाते हुए किसी जनसेवक को इंदिरा आवास की संचिका का प्रभार दी जाय। साथ ही वर्त्तमान सहायक पर कारणपृच्छा करते हुए प्रपत्र–'क' गठित करना सुनिश्चित करें।

प्रखण्ड डुमरी में ससमय FTO नहीं होने के कारण 3rd एवं 4th किस्तों के बीच 289 संख्या का अन्तर है एवं 45 लाभुकों को 4th किस्त का भुगतान कर दिया गया है जबकि दैनिक प्रतिवेदन में RCC Level की संख्या 278 प्रतिवेदित है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संचिका प्रभारी एवं प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G, डुमरी पर कारणपृच्छा करते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित रखने का आदेश दिया गया। यदि एक सप्ताह के अन्दर सुधार नहीं होता है तो प्रखण्ड समन्वयक,PMAY-G, डुमरी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई एवं संचिका प्रभारी पर निलम्बन की कार्रवाई की जायेगी।

प्रखण्ड बिरनी में ससमय FTO नहीं होने के कारण 3rd एवं 4th किस्तों के बीच 135 संख्या का अन्तर है एवं 13 लाभुकों को 4th किस्त का भुगतान कर दिया गया है जबकि दैनिक प्रतिवेदन में RCC Level की संख्या 24 प्रतिवेदित है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संचिका प्रभारी एवं प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G, बिरनी पर कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड सरिया में ससमय FTO नहीं होने के कारण 3rd एवं 4th किस्तों के बीच 109 संख्या का अन्तर है एवं 59 लाभुकों को 4th किस्त का भुगतान कर दिया गया है जबकि दैनिक प्रतिवेदन में RCC Level की संख्या 144 प्रतिवेदित है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संचिका प्रभारी, बिरनी पर कारणपृच्छा करते हुए 01 दिन का वेतन स्थगित रखने का

निदेश दिया गया। FTO में विलम्ब एवं लापरवाही के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरिया को कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड गावाँ के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पंचायत- आमतरो के ग्राम रोजगार सेवक क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं जिसे जियो टैग नहीं हो पा रहा है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए आमतरो के ग्राम रोजगार सेवक पर कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया। जवाब संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जायेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के Sanction एवं 1st किस्त के बीच सबसे ज्यादा Gap देवरी, बगोदर, गावाँ, बेंगाबाद, गिरिडीह एवं पीरटांड प्रखण्डों में है। अन्य प्रखण्डों में भी Gap की छोटी-छोटी संख्या है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि आगामी मंगलवार तक Gap के कारणों का पता लगायें। आखिर Gap क्यों है? इसकी क्या कारण है? इसमें भूमिगत, जियो टैग नहीं होना, स्वीकृत नहीं होना, FTO नहीं होना आदि बातें हो सकती है। इसके कारण को जाने और अविलम्ब प्रतिवेदित करें। इसका निदान अगर प्रखण्ड स्तर से होना है तो करें। यदि जिला स्तर से होना है तो जिला भेजें। यदि राज्य स्तर से होना है तो जिला भेजें ताकि राज्य स्तर से समस्या का समाधान किया जा सके।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व के सप्ताहिक प्रतिवेदन एवं आज के प्रतिवेदन में कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रखण्डों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। यह कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का द्योतक है।

समीक्षा के क्रम में गत बैठक में दिये गये निदेश की सभी प्रखण्डों में पंचायतवार तिथि के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन डिजाईन करें, जिसमें रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, स्वयंसेवक के साथ पर्यवेक्षक को टैग करें। रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, स्वयंसेवक के साथ पर्यवेक्षक प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। जहाँ जियो टैग की आवश्यकता है वहाँ ग्राम रोजगार सेवक जियो टैग करेंगे और शाम को प्रतिवेदन प्रखण्ड समन्वयक के समक्ष उपस्थापित करेंगे। प्रखण्ड समन्वयक प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ई0मेल अथवा वाट्सएप के द्वारा जिला भेजेंगे। साथ ही इसकी प्रति जिले से प्रतिनियुक्त टैग पदाधिकारी को देंगे। प्रखण्ड समन्वयक प्रतिदिन जिले से प्रतिनियुक्त टैग पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसे-जैसे आवास योजना में कार्य होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार शौचालय की योजना में भी कार्य होना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 3rd किस्त अति महत्वपूर्ण है। जिन लाभुकों को 3rd किस्त मिल गया है तो यह माना जाय कि 80% आवास पूर्ण हो गया है। ध्यान रखना है कि जिन लाभुकों का खाता जन-धन योजना का है उन लाभुकों को बैंक से एक मुश्त राशि निकालने में असुविधा होगी। अतः जन धन योजना खाते को अविलम्ब बैंक से सम्पर्क स्थापित कर सामान्य खाते में परिवर्त्तित कराना सुनिश्चित करें। यदि कारणवश बैंक नहीं मानता है तो उसे आर0बी0आई0 द्वारा जारी नया परिपत्र दिखायें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो जिले को अवगत करायें ताकि बैंकर्स से बात की जा सके।

जनसंवाद

मनरेगा सेल में प्राप्त शिकायत को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा आर0डी0डी0 पोर्टल पर अपलोड किया गया हैं। प्राप्त शिकायतों को मुख्यमंत्री जनसंवाद डाला जायेगा। यह शिकायत मुख्यतः रोजगार और मनरेगा से संबंधित है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी इसके लिये जिम्मेवार हैं। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी इस पर ध्यान दें। प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादित कर अपलोड करें और इसकी प्रति जिले को समर्पित करें। जनसंवाद के मामले को Delegate न करें। पूर्व में बेंगाबाद एवं पीरटांड प्रखण्ड में जनसंवाद के कई मामले लंबित थे परन्तु अब इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। अब तक कुल 36 मामला में जिले में लंबित है। एक सप्ताह के अन्दर जनसंवाद के सभी मामले Dispose करें और Quality Disposal करें। जनसंवाद के मामले को निष्पादित करने में अगर ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, मुखिया, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता लापरवाही बरते हैं तो संबंधित पर Fine impose करें।

अभिकरण कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसंवाद हेतु श्री नीरज कुमार बरहपुरिया, वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह नोडल पदाधिकारी हैं। इनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ कि जनसंवाद के मामले में जब प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की जाती है तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा फोन रिसिव नहीं किया जाता है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन 10:30 बजे नोडल पदाधिकारी से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर अपलोड की सूचना देंगे। जनसंवाद के मामले के निष्पादन में अगर किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो सीधे अधोहस्ताक्षरी या नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।

मनरेगा

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 180 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण है जबकि 111 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना का ही MIS में Close किया गया है। MIS के लिये प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार हैं। कुल 578 योजना का ढलाई कार्य पूर्ण हैं इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराते हुए MIS में बंद कराने का निदेश दिया गया।

गावाँ प्रखण्ड के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 18 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण है परन्तु एक योजना का भी एम0आई0एस0 नहीं कराया गया। इस पर रोष व्यक्त करते हुए संबंधित कनीय अभियंता पर कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

गाण्डेय प्रखण्ड के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना की प्रगति धीमी है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए गाण्डेय प्रखण्ड के सभी कनीय अभियंता पर 500/- रू0 जुर्माना लगाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय को निदेश दिया गया कि जुर्माने की राशि को संग्रह कर जिले में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि कनीय अभियंता के कार्य में तेजी नहीं आती है तो संबंधित कनीय अभियंता चयनमुक्त कर दिये जायेंगे।

बिरनी प्रखण्ड के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आँगनवाड़ी भवन निर्माण योजना की प्रगति असंतोषजनक है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए बिरनी प्रखण्ड के सभी कनीय अभियंता पर ~~योजनावार~~ 500/- रू0 जुर्माना लगाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बिरनी को निदेश दिया गया कि जुर्माने की राशि को संग्रह कर जिले में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि कनीय अभियंता के कार्य में तेजी नहीं आती है तो संबंधित कनीय अभियंता चयनमुक्त कर दिये जायेंगे।

बेंगाबाद प्रखण्ड के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 10 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण है परन्तु अब तक 04 का ही MIS कराया गया हैं। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि दो से तीन दिनों के अन्दर बाकी 06 का MIS कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा Fine impose किया जायेगा।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सेन्ट्रल टीम के द्वारा आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना की जाँच की जा रही है। यदि गलत भुगतान हुआ तो राशि की वसूली की जायेगी। सभी कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि आँगनबाड़ी निर्माण योजना में Quality Maintain करें। साथ ही जिस आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में Under DPC तक कार्य हुआ है, हर हाल में यथाशीघ्र लिंलटन तक कार्य सुनिश्चित करायें। मार्च के महीने में जो राशि की निकासी की गई है अगर अब तक इस राशि को खर्च नहीं किया गया है तो संबंधित पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। 578 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में आर0सी0 लेवल तक कार्य पूर्ण है इसे हर हाल में 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करायें। अन्यथा सभी कनीय अभियंता पर प्रति आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना के हिसाब से 500/- 500/- रू0 Fine impose किये जायेंगे।

डोभा निर्माण

डोभा निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 2 फीट एवं 4 फीट डोभा निर्माण योजना को शून्य करना है। 6 फीट एवं 8 फीट डोभा निर्माण योजना को यथाशीघ्र पूर्ण करना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गिरिडीह प्रखण्ड द्वारा इस सप्ताह में एक भी योजना को न तो भौतिक रूप से पूर्ण किया है न ही MIS कराया गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्डवार प्रतिदिन Close करने का लक्ष्य दिया गया :-

क्र0सं0	प्रखण्ड	लक्ष्य
1	गिरिडीह	25
2	बेंगाबाद	25
3	गाण्डेय	50
4	पीरटांड	40
5	डुमरी	40
6	बगोदर	30
7	सरिया	30
8	धनवार	40
9	जमुआ	40

10	बिरखी	25
11	देवरी	40
12	तिसरी	30
13	गावाँ	30

यदि प्रतिदिन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित पर 500/- रू0 प्रतिदिन Fine impose किये जायेंगे।

Daily Check list for MGNREGA Works

Average Work Per Village के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तिसरी,गावाँ एवं धनवार प्रखण्ड की स्थिति अत्यंत खराब है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तिसरी प्रखण्ड में 68 NADEP की योजना स्वीकृत है परन्तु मात्र 07 योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। वर्मी कम्पोष्ट 317 योजनायें स्वीकृत हैं जबकि कार्य मात्र 78 में प्रारंभ है। IHHL की 793 योजना स्वीकृत हैं परन्तु 39 योजना में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। 30X40 Model अन्तर्गत 84 योजनायें स्वीकृत हैं परन्तु एक में भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पूर्व के बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि NADEP एवं वर्मी कम्पोष्ट की 25-25 योजना स्वीकृत कराते हुए कार्य प्रारंभ करायें परन्तु इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को चेतावनी दी गयी आगामी मंगलवार तक यदि NADEP एवं वर्मी कम्पोष्ट की 25-25 योजना स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर Fine impose किया जायेगा।

इस प्रकार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गावाँ प्रखण्ड में 86 NADEP की योजना स्वीकृत है परन्तु मात्र 19 योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। वर्मी कम्पोष्ट 73 योजनायें स्वीकृत हैं जबकि कार्य मात्र 06 में प्रारंभ है। IHHL एवं 30X40 Model अन्तर्गत एक भी योजनायें स्वीकृत नहीं हैं। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 500/- रू0 Fine impose किया गया।

इस प्रकार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गाण्डेय प्रखण्ड में 324 NADEP की योजना स्वीकृत है परन्तु मात्र 18 योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। वर्मी कम्पोष्ट 388 योजनायें स्वीकृत हैं जबकि कार्य मात्र 53 में प्रारंभ है। IHHL की 917 योजना स्वीकृत हैं परन्तु कार्य 22 में ही प्रारंभ है। 30X40 Model अन्तर्गत एक भी योजनायें स्वीकृत नहीं हैं। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को एक सप्ताह का समय दिया गया। अन्यथा 500/- रू0 प्रतिदिन Fine impose किये जायेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड धनवार का Average Work for Village 0.80 है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 500/- रू0 का Fine impose किया गया। साथ ही चेतावनी दी गयी कि अगर आगामी मंगलवार

तक Average Work for Village 3.0 नहीं हुआ तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जायेगी।

DBT

DBT के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में Total Active Worker **की संख्या-179180 है जिसमें** 148598 Active Worker का DBT हो पाया है। 30582 का Gap अभी भी है। Worst 30 प्रखण्डों की सूची में गिरिडीह जिले के गिरिडीह, गाण्डेय, बगोदर, तिसरी एवं सरिया प्रखण्ड हैं। DBT के सन्दर्भ में राज्य का प्रतिशत 87 है जबकि जिले का प्रतिशत 82 है। प्रखण्ड बेंगाबाद में 2515, देवरी में 2559, गाण्डेय में 3824, गावाँ में 2358, गिरिडीह में 3015, जमुआ में 2948, पीरटांड में 2659, सरिया में 2338 तिसरी में 1641, बगोदर में 1552 एवं बिरनी में 1820 डाटा अब तक लम्बित है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि DBT का प्रतिशत नहीं बढ़ा तो आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। यह एक Burning Issue है। अतः प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी लगातार इस पर कार्य करें।

सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पोस्ट ऑफिस खाते का छोटा-छोटा आँकड़ा जो दिख रहा है उसे अविलम्ब हटायें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आधार सत्यापन प्रखण्ड स्तर से लंबित है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब तक 20 हजार खाता बैंकों को भेजा गया है परन्तु बैंकों की शिकायत है कि बैंकों में डाटा का सॉफ्ट कॉपी प्रखण्डों द्वारा नहीं भेजी जा रही है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि डाटा का हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी बैंक को उपलब्ध करायें और प्रतिलिपि अभिकरण कार्यालय को भेजें। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित हो ले कि आधार एवं खाता का जो मैपिंग हुआ है वहीं डाटा बैंक को भेजा जाना है। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जो भी डाटा बैंकों को भेजी जा रही है उसका शाखावार Synoposis बनायें और इसे जिला भेजें ताकि जिले से Centrally Followup कराया जा सके।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वर्त्तमान में जो आधार का कैम्प चल रहा है। उसका प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला को भेजें। साथ ही बैंकवार प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें। श्री नीरज कुमार बरहपुरिया, वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह, DBT के नोडल पदाधिकारी हैं। इनसे प्रतिदिन 10:30 बजे दूरभाष द्वारा सम्पर्क स्थापित कर Updates बतायें।

जियो टैगिंग

जियो टैगिंग के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Complete work एवं जियो टैग के बीच बगोदर, बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, डुमरी, गावाँ, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया एवं तिसरी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि दो-से-तीन दिनों के अंदर शत प्रतिशत जियो टैग करना सुनिश्चित करें।

Scheme pending

Scheme pending की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजना को एम0आई0एस0 में बन्द करें। आगामी बैठक के पूर्व 100 प्रतिशत एम0आई0एस0 में बन्द करना सुनिश्चित करें।

Job Card Verification

Job Card Verification के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड- बगोदर, बिरनी, गावाँ, गिरिडीह, सरिया एवं तिसरी प्रखण्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। गत बैठक में भी इस पर रोष व्यक्त किया गया था। पुनः इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को एक मौका और दिया गया और शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

Delayed Payment

Delayed Payment के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेंगाबाद, धनवार, देवरी, गाण्डेय, डुमरी, गावाँ, गिरिडीह एवं तिसरी प्रखण्डों का आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन प्रखण्डों में 5 प्रतिशत से 14.9 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में Delayed Payment का आँकड़ा 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा के क्रम में गत बैठक में निदेश दिया गया था कि पूर्व में दिये गये आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। प्रखण्ड नजारत में अब तक वसूल कर जमा की गई राशि का ब्यौरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 07 दिनों में जमा करेंगे। प्रत्येक **Delay Payment** के लिए योजनावार निम्न प्रकार से Fine impose किए जांएगें –

कम्प्यूटर ऑपरेटर	– 100/–
ग्राम रोजगार सेवक	– 100/–
कनीय अभियंता	– 500/–
पंचायत सेवक	– 500/–
मुखिया	– 500/–
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	– 500/–
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	– 1000/–

यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित से **Delay Payment** हेतु 05 दिनों के अन्दर अर्थ दण्ड लगाकर राशि वसूल नहीं कि जाती है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ऊपर 1000/– का अर्थदण्ड लगेगा और राशि वेतन से काटी जाएगी। इसका सख्ती से पालन किया जाय परन्तु अब तक जिले में राशि जमा नहीं की गयी है। अगर आगामी मंगलवार तक प्रखण्ड से वसूल की गयी राशि जिले में जमा नहीं की जाती है तो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का प्रतिदिन 1000/– रू0 अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा और यह राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के वेतन से काटी जायेगी।

Watershed

पूर्व में Watershed की योजना Watershed Committee द्वारा क्रियान्वित की जाती थी। वर्त्तमान में इसका क्रियान्वयन मनरेगा से किया जायेगा। इसके अन्तर्गत 09 योजना हैं जिसमें 04 योजना Ongoing है तथा 05 योजना का डी0पी0आर0 तैयार है। इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी श्री राम बिलास, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0 एवं श्री दिलीप देव, तकनीकी विशेषज्ञ हैं।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

05/8/17

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
05.08.17 गिरिडीह।

ज्ञापांक 2212 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 05 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/17

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
05.08.17